अध्याय

22

12147CH22

पैरवी

अधिगम उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी—

- पैरवी, व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) तथा किसी लक्ष्य के प्रति समाज को संगठित करने की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे,
- पैरवी के प्रकारों तथा प्रयोजनों का वर्णन कर सकेंगे,
- पैरवी तथा व्यवहार परिवर्तन और संचार में अंतर कर सकेंगे,
- पैरवी में जीविका के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशलों को समझ पाएँगे।

प्रस्तावना

आपने विभिन्न व्यक्तियों या समूहों को सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ करते हुए अवश्य देखा होगा, उदाहरण के लिए किसी बच्चे की कैंसर की चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता, सुनामी प्रभावित परिवारों के पुनर्वास या प्रत्येक बालिका/बालक के विद्यालय जाने को सुनिश्चित करना, बच्चों में कुपोषण की रोकथाम बाल-श्रम को रोकना आदि कोई अन्य उद्देश्य। आपने दूरदर्शन पर विज्ञापनों में तंबाकू के उपयोग से होने वाले कैंसर से पीड़ित व्यक्तियों को भी देखा होगा। पोलियो के विरुद्ध बच्चों के प्रतिरक्षण के बारे में विख्यात व्यक्तियों द्वारा अपील की जाती है। अधिकांश संस्थाओं को इन क्रियाकलापों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। यह प्राय: व्यक्तियों/निगमित निकायों/सामान्य जनता से अनुरोध करके उन्हें नकद या अन्य रूप में दान देने के लिए राजी करके किया जाता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों को पैरवी कहा जा सकता है।

© NCERT not to be republished

पैरवी के प्रभावी होने के लिए मुख्य बात व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना या उनके व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें प्रभावित करना है। यह व्यवसायियों द्वारा अपने लेखन तथा व्यवहार में समझाने-बुझाने के कौशलों का उपयोग करके सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है। पैरवी कौशल लोगों को आगे बढ़ाने हेतु चमत्कार कर सकते हैं। मुख्य निर्णयकर्ता प्राय: व्यस्त रहते हैं और/या किसी विशेष समस्या के बारे में संपूर्ण सूचना सदैव नहीं रख पाते। पैरवी से उनकी विचार-प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और वे अपने नियोक्ता की ओर से कार्य (पैरवी) करते हैं। आइए संक्षेप में व्यवहार परिवर्तन के लिए पैरवी तथा संचार की दुनिया की एक झलक देखें।

मूलभूत संकल्पनाएँ

पैरवी क्या है? पैरवी सामाजिक परिवर्तन के लिए संचार की एक विधि है। यह एक ऐसा योजनाबद्ध क्रियाकलाप है, जिसे व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी सामूहिक उद्देश्य/दृष्टि से तथा सामान्य निर्देश के आधार को ध्यान में रखकर, किन्हीं विशिष्ट विषयों या समस्याओं से संबंधित नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य था — अनुकूल परिवेश प्रस्तुत करना तथा मतैक्य बनाकर कल्पना दृष्टि को यथार्थ बनाना या कार्यान्वित करना। पैरवी वैश्विक, क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तर पर व्यक्तियों के जीवन तथा क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाली समस्याओं तथा कानूनों के आधार पर की जा सकती है। उदाहरण के लिए आप जानते हैं कि भारत में अनेक समुदायों में लड़की को लड़के की अपेक्षा कम महत्त्व दिया जाता है और कुछ माता-पिता तो लड़की के पैदा होने से पहले ही मादा-भ्रूण से छुटकारा पाने का निश्चय कर लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में नवजात लड़की को क्रूर तरीकों से मार दिया जाता है। इसे रोका जाना चाहिए। मादा भ्रूण से छुटकारा पाने की इस कुप्रथा के विरुद्ध तथा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर सहमति का वातावरण उत्पन्न करने के लिए पैरवी द्वारा व्यक्तियों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मादा भ्रूण हत्या को रोकने की समस्या के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए पैरवी को सुनियोजित रूप दिया जा सकता है।

पैरवी का उद्देश्य निम्न प्रकार से सारांशित किया जा सकता है—

- कानून, कार्यक्रम, संसाधनों का बँटवारा या सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों को सुदृढ़ करने अथवा बढ़ावा देने के लिए नीति में बदलाव
- किसी दी गई कार्य-सूची के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों तथा प्रभावी समूहों का समर्थन प्राप्त करना

'पैरवी' किसी विशेष समस्या, विचार, व्यक्ति या पशु के पक्ष में 'समझाने तथा मना लेने' की क्रिया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 'पैरवीकार' कहते हैं। यहाँ पैरवी तथा पैरवीकार दोनों ही शब्दों का विशेष अर्थ है, लेकिन इस क्षेत्र में ये कानूनी कोर्ट की कार्यविधि के लिए पैरवीकारों से भिन्न है। इस संदर्भ में पैरवी का अर्थ है, सामाजिक प्रयोजनों के लिए किसी मुद्दे या समस्या को उभारना तथा सभी संबंध व्यक्तियों के साथ बहस करके जागरूकता उत्पन्न करना। जिन व्यक्तियों को समझाना या मनवाना है, वे प्रत्येक स्थिति या संदर्भ में भिन्न हो सकते हैं। ये राजनैतिक नेता, प्रशासक, नीतिनिर्माता और सामान्य जनता या सह-नागरिक हो सकते हैं।

पैरवी के लिए क्या विधियाँ उपयोग की जाती हैं?

किस विधि का उपयोग किया जाए यह समस्या, वाँछित बल, वह व्यक्ति जिसे संपर्क या लक्षित करना है और पैरवी के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी। सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनों के लिए दबाव डालने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियाँ, रैलियाँ निकालना, प्रदर्शन, जन माध्यम तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा अभियानों को लाना है। जैसे-जैसे समाज अधिक जटिल होता जाता है और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अभाव ग्रस्त समुदाय लगातार किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव करते हैं जो दूसरे व्यक्तियों, संस्थाओं और एजेंसियों से संपर्क करके उन्हें सहारा दे सकें, तो इस प्रकार की पैरवी की आवश्यकता बढ़ती जाती है। स्पष्टतया इसके लिए ऐसे व्यावसायिकों की आवश्यकता है जो पैरवी के लिए कार्य नीति विकसित कर सकें।

पोलियो प्रतिरक्षण अभियान अनेक विधियों का उपयोग करके चलाया जाता है जैसे – पोस्टर लगाना, प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा दूरदर्शन पर अपील करना और विशेषज्ञों द्वारा चर्चा का आयोजन करना। टीकाकरण से कुछ दिन पहले निगम या सरकार किसी वाहन में व्यक्तियों को दिन तथा स्थान की घोषणा करने के लिए भेज सकती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर उन माताओं को पोलियो प्रतिरक्षण के लिए बच्चों को ले जाने की सलाह दें, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

सामान्यतया किस-किस प्रकार की पैरवी का उपयोग किया जाता है। आइए संक्षेप में उनके बारे में विचार करें—

पैरवी के विभिन्न प्रकार हैं—

1. समस्या केंद्रित पैरवी—इसका उद्देश्य कुछ चुनी हुई समस्याओं पर जागरूकता उत्पन्न करना, आवश्यकता के अनुसार नीतियाँ बनाना, प्रभावहीन तथा नुकसानदेह नीतियों में सुधार लाना, इसके अतिरिक्त नीतियाँ लागू करने में सुधार करना है।
2. कार्यक्रम- केंद्रित पैरवी—इसका उद्देश्य कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करना है।
3. संगठनात्मक पैरवी—संगठन की छवि को ऊँचा उठाना तथा इसको सौंपे गए कार्यों, आदेश का प्रचार/प्रोत्साहन करना या कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए और संगठन के लिए संसाधनों को जुटाना।

'पैरवी पहल' की सफलता की एक कहानी नीचे दी गई है—

'सूचना का अधिकार अधिनियम' (आर.टी.आई.) अरविंद केजरीवाल तथा अरुणा रॉय आदि व्यक्तियों के द्वारा, आधार स्तर पर लगभग पाँच वर्ष तक लगातार किए गए, अनेक पैरवी प्रयासों के परिणमस्वरूप हाल में ही लागू हुआ। उन्हें *मैग्सेसे पुरस्कार* से सम्मानित किया गया। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम की पैरवी क्यों की? उन्होंने इस देश के नागरिकों के लिए, उनसे संबंधित सूचना पाने के अधिकार की घोर आवश्यकता अनुभव की। उन्होंने गाँवों तथा झुग्गी-झोंपड़ी के व्यक्तियों से व्यवहार करते समय प्रशासकों का निरंकुश बरताव देखा था। दैनिक वेतन पाने वाले मज़दूरों को, जो सरकारी कार्यक्रमों के कुछ निर्माण स्थलों पर कार्य करते थे, वास्तविक मज़दूरी की अपेक्षा बहुत अधिक राशि पर हस्ताक्षर करने या अँगूठा लगाने के लिए कहा

जाता था। इसी प्रकार लोगों को बताए बगैर राशन की दुकानों को बंद कर दिया जाता था और जितनी राशन की मात्रा उन्हें मिलनी चाहिए थी उससे कम मात्रा और वह भी घटिया स्तर की दी जाती थी।

सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर.टी.आई.) भारत की संसद द्वारा बनाया हुआ एक कानून है, जिसमें नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की क्रियात्मक विधि को बतलाया गया है। यह कानून सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कानूनी उपबंध के अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण (कोई सरकारी निकाय या राज्य का कोई कार्यालय/संस्था) से सूचना देने के लिए प्रार्थना कर सकता है। जिसका उत्तर शीघ्रातिशीघ्र या तीस दिन के अंदर देना होगा। इस कानून में प्रत्येक लोक प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने रिकॉर्डों को कंप्यूटरीकृत करेंगे, जिससे कि उनका विस्तृत प्रसार हो सके तथा कुछ वर्गों की सूचना को सक्रिय रूप से प्रकाशित भी करेंगे, जिससे कि नागरिकों को सूचना माँगने की कम से कम आवश्यकता पड़े।

क्रियाकलाप 22.1

किसी भी एक प्रकार की पैरवी पहल की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

पैरवी के अतिरिक्त मानव व्यवहार को बदलने के कुछ अन्य तरीके भी हैं। ऐसा एक तरीका है—व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.)। यह अपेक्षाकृत एक नयी संकल्पना है जो एक पूर्व प्रयुक्त शब्द सूचना, शिक्षा तथा संचार या 'आई.ई.सी.' से विकसित हुआ, व्यवहार परिवर्तन संचार का उपयोग मानव क्रियाओं तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है, जिसे प्राय: संचार अंत:क्षेपों द्वारा किया जाता है।

इसमें क्या बातें सम्मिलित हैं? इसके अंतर्गत लोगों की स्थितियों को समझने, उनके सरोकारों के समाधान के प्रति ध्यान देने और उनके लिए उपयुक्त कार्यनीतियाँ विकसित करने का काम किया जाता है। संचार प्रक्रियाओं तथा जनमाध्यम चैनलों का उपयोग, व्यक्तियों के ज्ञान में वृद्धि, व्यवहार तथा बोध में बदलाव और इस प्रकार उनके व्यवहार तथा आचरण में परिवर्तन करके, उन्हें सहमत कराने में उपयोग किया जाता है। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार परिवर्तन संचार के उपयोग द्वारा तरीकों में परिवर्तन और निवारक उपायों के द्वारा तपेदिक तथा एच.आई.वी. संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना है। इन दो घातक बीमारियों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए संदेश जन माध्यमों के द्वारा व्यापक रूप से प्रचारित किए जाते हैं तथा परामर्श, प्रशिक्षण या कार्यशालाओं आदि वैयक्तिक विचार विनिमय द्वारा सुदृढ़ किए जाते हैं, जिससे कि जनमानस प्रभावित हो तथा उनके उन व्यवहारों/प्रक्रियाओं में परिवर्तन हो सके, जिससे एच.आई.वी. संक्रमण या तपेदिक फैलने का खतरा कम हो जाए।

आप सोचते होंगे कि पैरवी तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बी.सी.सी.) तथा सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी.) तत्वत: एक ही हैं। यदि आप आगे सारणी 22.1 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई देंगे जो आपको इन दोनों में अंतर करने में सहायता करेंगे।

© NCERT not to be republished

सारणी 22.1 — बी.सी.सी./आई.ई.सी. तथा पैरवी के बीच अंतर

मानदंड	बी.सी.सी./आई.ई.सी.	पैरवी
उद्देश्य	व्यक्ति के ज्ञान, अभिवृत्ति तथा व्यवहार में परिवर्तन लाना, जिससे किसी समुदाय के विश्वास, मान्यताएँ तथा समाज-सांस्कृतिक मानदंडों में परिवर्तन आ सके	जनन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिवेश को सुधारने के लिए कानूनों तथा नीतियों में परिवर्तन के प्रयास करना
परिणाम	समुदाय के सदस्यों के व्यवहार में परिवर्तन	किसी विशिष्ट कानून, नीति या कार्यक्रम में परिवर्तन
लक्ष्य समूह	अलग-अलग समुदाय तथा परिवार के सदस्य	नीति निर्माता/पदाधिकारी, अग्रणी/समाज के प्रभावशाली सदस्य, विधायक
अभिविन्यास	ऐसे व्यक्तिगत परिवर्तन, जो सामुदायिक कार्रवाई के लिए उन्मुख करें	जननीति उन्मुख
जोखिम उठाना	कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उसे छोड़ सकता है, इसलिए अधिक जोखिम नहीं है।	जब विवादास्पद मुद्दे लिए जाते हैं तो अधिक जोखिम उठाना पड़ता है।
केंद्र बिंदु	व्यक्ति (यों) द्वारा संकल्पनाओं को आत्मसात् करने पर केंद्रित, ताकि बेहतर समझ हो और परिवर्तन हो सके	समर्थन के आधार को व्यापक बनाने के लिए संबंध तंत्र तथा मेलजोल बढ़ाने पर बल

सामाजिक लामबंदी

सामाजिक लामबंदी स्वावलंबी प्रयासों द्वारा विशिष्ट विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रम है, जिसमें व्यक्तियों को भागीदार बनाया जाता है। आवश्यक संसाधनों को जुटाया जाता है और सूचना को लक्षित श्रोताओं तक प्रसारित किया जाता है। सरल शब्दों में, संसाधनों तथा व्यक्तियों को समाज की बेहतरी के लिए सुव्यवस्थित करना 'सामाजिक लामबंदी' है। सामाजिक लामबंदी तथा प्रभावी संचार उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं, जिनके लिए पैरवी की जानी है। पैरवी सामाजिक लामबंदी की प्रक्रिया में सहायक होती है।

आइए संक्षेप में देखें कि सामाजिक लामबंदी क्या है?

- सामाजिक लामबंदी एक ऐसा दृष्टिकोण और साधन है, जो व्यक्तियों को संसाधनों के एकत्रीकरण तथा एकता बनाने के द्वारा सामूहिक कार्यवाही के लिए संगठित करता है, जो सामान्य समस्याओं को हल करने तथा समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक है।
- यह ऐसी सशक्तिकरण की प्रक्रिया है जो व्यक्तियों को अपने लोकतांत्रिक स्वशासी समूहों या सामुदायिक संस्थाओं में संगठित करती है, जिससे उन्हें अपने व्यक्तिगत तथा सामुदायिक विकास को प्रारंभ करने तथा नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इसके विपरीत सरकार या बाह्य संगठन द्वारा बनाए गए किसी कार्यक्रम में केवल भाग लेने से उनका यह लक्ष्य सिद्ध नहीं होता।

© NCERT not to be republished

- प्रभावी सामाजिक लामबंदी, सामुदायिक संगठनों से अधिक प्रभावी होती है। इसके द्वारा सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा नागरिकों की शक्ति तथा प्रयासों का उपयोग दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विकास में किया जाता है।

केस अध्ययन

यहाँ पर बांग्लादेश में स्वच्छता के क्षेत्र में पैरवी के एक प्रयास को आरेख की सहायता से प्रस्तुत किया गया है। बांग्लादेश में 8 वर्ष के स्वच्छता कार्यक्रम के उदाहरण से पैरवी, सामाजिक लामबंदी तथा संचार के बीच कड़ियों को उदाहरण सहित दर्शाया गया है। पैरवी के लिए संचार योजना का उपयोग, बांग्लादेश सरकार ने 1993-1998 तक यूनिसेफ़ तथा डेनमार्क और स्विटज़रलैंड की सहायता से कार्यान्वित किए गए स्वच्छता कार्यक्रम के लिए किया था।

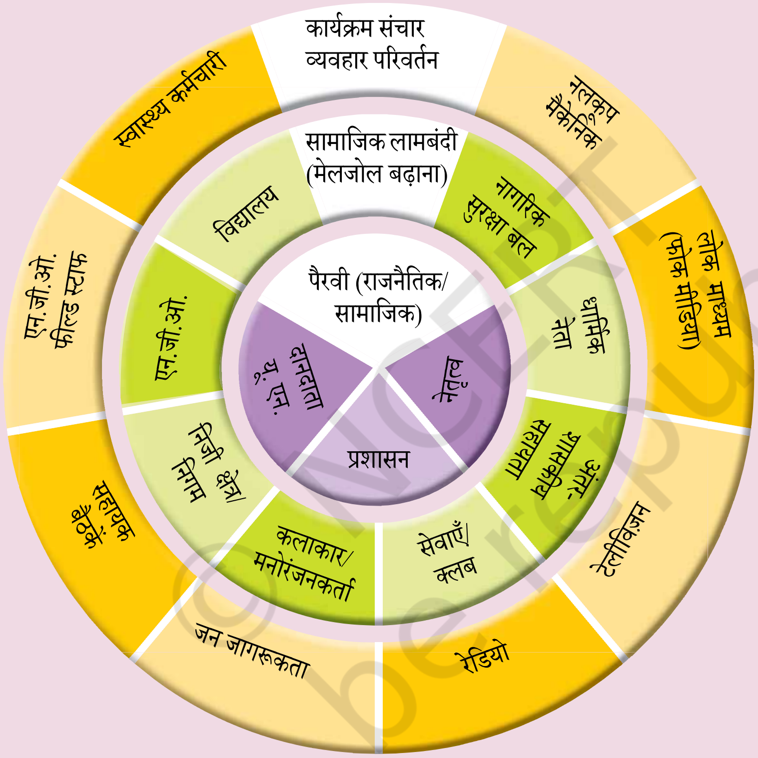

स्रोत — डिक दे जोंग, 2003 एडवोकेसी फ़ॉर वॉटर, एनवायरमेंटल सेनिटेशन एंड हाइजीन थिमैटिक ओवरव्यू पेपर आई.आर.सी. इंटरनेशनल वाटर एंड सेनिटेशन सेंटर

http://www.irc.nl/themes/communication/cases/bangladesh.html

आवश्यक ज्ञान तथा कौशल

पैरवी के लिए शिक्षा, पैरवी की समझ तथा रिपोर्ट लिखने के अनुभव की व्यावसायिक योग्यताएँ होनी चाहिए। व्यावसायिकों में अनुसंधान करने, सूचना एकत्रित करने तथा व्यक्तियों की आवश्यकताओं के लिए

© NCERT not to be republished

संवेदनशील होने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिस समस्या के समर्थन में वे खड़े हैं, उसके पक्ष में जनता के मत को बनाने की क्षमता भी एक महत्वपूर्ण गुण होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम के लिए पैरवीकार नागरिकों का एक बड़ा समूह बनाते हैं, इस समस्या को जनमाध्यम के द्वारा रोशनी में लाते हैं और राजनैतिक नेताओं तथा नीति निर्माताओं पर दबाव डालते हैं। पैरवी के अन्य उदाहरण हैं— जानवरों को क्रूरता से बचाने, बाघों की रक्षा, नेत्र तथा अंगदान के अभियान, जिनकी ज़ोरशोर तथा प्रभावशाली ढंग से पैरवी की जाती है। इस क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों को निम्नलिखित कौशल विकसित करने चाहिए—

अनुनय कौशल तर्क तथा समस्या के समर्थन के लिए लक्ष्य श्रोताओं/दर्शकों को प्रभावित करने के प्रयास तथा युक्तियाँ हैं। अधिकतर निम्नलिखित दो विधियाँ उपयोग की जाती हैं।

पक्ष- जुटाव (लॉबिंग) प्रक्रिया में चुने हुए तरीकों द्वारा राजनैतिक दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। जब वैधानिक तंत्र से कुछ विशेष आवश्यकता होती है तो यह सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, जैसे – गर्भपात को वैध बनाने के लिए कानून।

जनमाध्यमों से संबंधों में जनसंचार माध्यम जैसे – रेडियो, टेलीविज़न, समाचार-पत्र, मैगज़ीन, जरनल, समुदाय वृत्त पत्र आदि का उपयोग सम्मिलित है। जन माध्यम के लिए सुझाए गए प्रारूपों में, प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलन, तथ्य विवरण पत्र, पत्रकारों के लिए प्रचार सामग्री, अतिथि संपादकीय, संपादक के लिए पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न पर वार्ता, चित्र निरूपण, रेडियो पर समय खरीदना, समाचार-पत्र में विज्ञापन के लिए स्थान खरीदना सम्मिलित हैं।

क्रियाकलाप 22.2

- कोई दो समस्याएँ चुनिए, जिनके लिए आप पैरवी अभियान डिज़ाइन करना चाहेंगे।
- अपने अभियान के लिए आप कौन-सी विधियों तथा जनमाध्यमों का उपयोग करेंगे? संक्षेप में वर्णन कीजिए।

कार्यक्षेत्र

समय के साथ पैरवी के कार्यक्षेत्र की आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई है। आज इन कौशलों से युक्त व्यक्तियों की प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यकता है। सरकारी विभागों में विभिन्न कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। विकास-क्षेत्रों में कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय एजेंसियों को अपनी परियोजना को कार्यान्वित करने तथा जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इन विशेषज्ञता प्राप्त विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। निगमित सामाजिक दायित्व वाली संस्थाओं द्वारा किए गए कार्य केवल इसलिए सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ठीक प्रकार का जालतंत्र (नेटवर्क) होता है तथा प्रभावी समूहों को पैरवी में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्तियों द्वारा जुटाया जाता है। गैर-सरकारी संस्थाओं को प्राय: उनकी आवश्यकता धन एकत्रित करने तथा सहायता जालतंत्र प्राप्त करने के लिए परियोजना लेखन के लिए होती है। आजकल विज्ञापन एजेंसियाँ तथा विपणन प्रबंधन कंपनियाँ भी सद्भाव उत्पन्न करने तथा अपने अभियानों, उदाहरण के लिए स्वस्थ भारत अभियान में ज़मीनी स्तर के परिदृश्यों को अधिक लाने के लिए उनकी सेवाओं को किराए पर लेती हैं।

© NCERT not to be republished

प्रमुख शब्द

पैरवी, व्यवहार परिवर्तन संचार, सामाजिक लामबंदी, पक्ष जुटाव, सूचना, शिक्षा तथा संचार या सूचना शिक्षा संचार।

पुनरवलोकन प्रश्न

1. पैरवी क्या है? पैरवी कितने प्रकार की होती है?
2. पैरवी के लिए आवश्यक कौशलों का वर्णन कीजिए।
3. पैरवी तथा व्यवहार परिवर्तन संचार में क्या अंतर है।

© NCERT not to be republished